

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

--: प्रपत्र-6 :-

निम्नलिखित प्राध्यापकों को उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	छोटे लाल यादव, जि०शि० माध्य प्रथम उदयपुर	खेल पर्यवेक्षक	10.07.58	31.07.18
2	विजय सिंह मीणा डाईट करौली	शा०शि० ग्रेड प्रथम	28.07.58	31.07.18
3	मानाराम विशनोई रा० चौपडा उ०मा०वि० बीकानेर	राजस्थानी	01.09.58	31.08.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित कार्मिकों के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट:- वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि तक यदि कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2017-2018

दिनांक 07-06-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
3. संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्य-1/II
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित व्याख्याता
7. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित लोक सेवक प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। निम्नांकित लोक सेवक राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)/एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	लोक सेवक का नाम व पदस्थापन स्थान राउमावि/मावि	पद	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने की दिनांक
1.	भूपेन्द्र सिंह पगारिया प्रधानाचार्य बरडोद-हमीरगढ (भीलवाड़ा)	प्रधानाचार्य	18.04.60	20.09.84	18.07.18
2.	जयवन्ती प्रधानाचार्य, कानाखड़ी-श्रीनगर जिला अजमेर	प्रधानाचार्य	17.10.60	21.12.85	01.08.18
3.	नन्दलाल शर्मा प्रधानाचार्य, गोगागेट, बीकानेर	प्रधानाचार्य	30.06.59	02.04.85	03.08.18

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामित शिक्षा सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/स्वैच्छिक सेनि/2018

दिनांक :

दिनांक- 08-06-2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
3. संबंधित उप निदेशक (माध्यमिक)
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकर करने का श्रम करें।
5. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
6. संबंधित संस्था प्रधान
7. संबंधित अधिकारी
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा। 10 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

VRS Praptra 6 and Order